# छत्तीसगढ़ शासन
# वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
# मंत्रालय
# महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

## // अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 4 मार्च, 2021

क्रमांक एफ 20–53/2019/11–6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019–24" में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक निवेश प्रोत्साहन नीति की कंडिका–15.1 में वर्णित तालिका के अनुक्रमांक–3 तथा परिशिष्ट–6.3 में वर्णित प्रावधानों को अधिसूचित एवं क्रियान्वित करने के उद्देश्य से दिनांक **1 नवंबर, 2019** से **"छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति नियम 2019"** निम्नानुसार लागू करता है :–

1– **परिचय :–**

राज्य में स्थापित होने वाले लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान करते हुए उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए सामान्य, प्राथमिकता एवं उच्च प्राथमिकता श्रेणियों में विकसित, विकासशील, पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित कराने के लिए यह योजना लागू की गई है।

2– **नियम :–**

यह नियम **"छत्तीसगढ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति नियम–2019"** कहे जायेंगे।

3– **प्रभावशील तिथि :–**

यह नियम **दिनांक 01 नवंबर, 2019** से **31 अक्टूबर, 2024 तक** प्रभावशील रहेंगे।

4– **परिभाषाएं :–**

इस अधिसूचना के अन्तर्गत नियमों के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होगी जो औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 में उल्लेखित हैं।

5– **पात्रता :–**

**5.1–** औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले नीति के **"परिशिष्ट–4 में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी के उद्योगों"** को छोड़कर शेष, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के उद्योगों की नवीन स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तार, विद्यमान उद्योगों में प्रतिस्थापन/शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) हेतु निवेश प्रोत्साहन के लिए इस

औद्योगिक नीति में पात्र उद्योगों को सामान्य, प्राथमिकता उद्योगों तथा उच्च प्राथमिकता उद्योगों की श्रेणी में **छत्तीसगढ राज्य में भुगतान किए गए नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति** प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

**5.2**– लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर के विद्यमान उत्पादनरत् उद्योगों के विस्तार/ प्रतिस्थापन/शवलीकरण के फलस्वरूप यदि औद्योगिक इकाई की श्रेणी लघु, मध्यम वृहद उद्योग से भिन्न श्रेणी अर्थात् मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में परिवर्तित होती है, तो प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य सम्पूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षो में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट वस्तु एवं सेवा कर अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो तक की पात्रता होगी एवं प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात् वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिए मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

**5.3**– औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के विस्तार करने पर नीति में वर्णित अनुसार सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी, बशर्ते इनमें स्थायी पूंजी निवेश रू. 5 करोड़ से अधिक न हो।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

**5.4**– औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित कोल्ड स्टोरेज के विस्तार करने पर सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी, बशर्ते ऐसे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/विस्तार के फलस्वरूप यंत्र संयंत्र/उपकरण में किया गया पूंजी निवेश लघु, मध्यम सेवा उद्यम श्रेणी हेतु निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

**5.5**– औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका – 21 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित–चिन्हित/घोषित उद्यमों से संबंधित एमएसएमई सेवा श्रेणी उद्यम के मामले में केवल लघु, मध्यम सेवा उद्यमों को निर्धारित मात्रा अनुसार अनुदान की पात्रता होगी।

**5.6**– औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका –15.18 में प्रावधानित अनुसार यह आवश्यक है कि उद्योग/सेवा उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन अथवा सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिकों में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/ प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार प्रदाय करना होगा।

**5.7–** पात्र इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपाबंध–1 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा।

**5.8–** औद्योगिक नीति 2014–19 के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ कर चुके इकाईयों के मामले में औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.14 के अन्तर्गत प्रावधानित विकल्प संबंधी प्रावधानों की पूर्ति करने पर ही इस अधिसूचना के तहत् नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

**5.9–** औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका –15.15 में प्रावधानित अनुसार राज्य की पूर्व नीतियों के अन्तर्गत मात्र स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त लघु, मध्यम एवं वृहद इकाईयों को दिनांक 1 नवम्बर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर इस अधिसूचना के तहत् नियमानुसार छत्तीसगढ राज्य नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

**5.10–** औद्योगिक नीति 2019–24 की कालावधि में स्थापित होने वाले नवीन अथवा विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन करने वाले विद्यमान लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग यदि न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराये/पट्टे पर लिये गये पूर्व निर्मित भवन/शेड में स्थापित किये जाते हैं, तो केवल यंत्र/संयंत्र पर किये गये मान्य निवेश पर नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, बशर्ते इकाई अन्य पात्रता संबंधी अन्य सभी मापदण्डों की पूर्ति करती हो।

**5.11–**यदि भारत सरकार/राज्य शासन के अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/ वित्तीय संस्था/बैंक से नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अधीन नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

**5.12–** स्ववित्त पोषित उद्योगों को भी अनुदान की पात्रता होगी ।

**5.13–** राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जिनका उद्योग औद्योगिक नीति 2019–24 के अन्तर्गत विद्यमान उद्योग की परिभाषा में आता है व औद्योगिक नीति 2019–24 में संतृप्त (अपात्र उद्योग) श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे विद्यमान उत्पादनरत् लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों को विस्तार/प्रतिस्थापन/शवलीकरण पर नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी ।

**5.14–** औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका– 15.21 एवं परिशिष्ट–(6.19) में प्रावधानित अनुसार किसी मेगा, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु विशेष पैकेज निर्धारित होने पर इन नियमों के अंतर्गत सुविधा की पात्रता विशेष पैकेज में निर्धारित अनुसार होगी।

**5.15** औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका–15.13 में प्रावधानित अनुसार रूपये 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले नॉन कोर सेक्टर के मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के औद्योगिक नीति में घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त

प्रोत्साहन दिये जाने के प्रस्ताव पर गुण–दोष के आधार पर मंत्रिपरिषद में Bespoke Policy के अन्तर्गत विचार कर निर्णय लिया जावेगा ।

5.16 औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत घोषित आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता हेतु रूपये 100 करोड़ से अधिक निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. करना अनिवार्य होगा।

**6– प्रतिपूर्ति की मात्रा :–**

**6.1– नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी ) प्रतिपूर्ति**

**केवल लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु**

| क्षेत्र | सामान्य उद्योग (कॉलम–1) | प्राथमिकता उद्योग (कॉलम–2) | उच्च प्राथमिकता उद्योग (कॉलम–3) |
|---|---|---|---|
| **श्रेणी–अ परिशिष्ट–7 (अ)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 35 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 9 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 % |
| **श्रेणी–ब परिशिष्ट–7 (ब)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 7 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 40 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 % |
| **श्रेणी–स परिशिष्ट–7 (स)** | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 8 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 55 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 65 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्रेणी–द परिशिष्ट–7 (द) | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 50 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर ( नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 75 % | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 100 % |

टीप :–

1. इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी ) प्रतिपूर्ति अन्य श्रेणी के उद्योगों अर्थात वृहद श्रेणी से उच्च श्रेणी में निवेश करने वाली इकाईयों को सुविधा की मात्रा वृहद उद्योग के लिए मान्य अधिकतम सीमा तक ही अनुमत योग्य होगी।

2. इकाईयों को नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (नेट एसजीएसटी ) प्रतिपूर्ति की वार्षिक पात्रता का निर्धारण निवेश प्रोत्साहन हेतु मान्य संपूर्ण राशि को स्वीकृत समयावधि के वर्षो में समान रूप से विभाजित कर प्रतिवर्ष अधिकतम प्रतिपूर्ति नेट जीएसटी अथवा मान्य अधिकतम वार्षिक सीमा, जो भी कम हो, तक की पात्रता होगी।

3 यह प्रतिपूर्ति केवल पात्र उद्यम द्वारा तैयार उत्पाद के छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर प्रथम विक्रय बीजक (बिल) राज्य के भीतर विक्रय तथा जिसे राज्य में ही उपभोग हेतु सौंपा (deliver किया) जाये तथा राज्य में ही उपभोग हो, के मामलों में लागू होगी। इकाई द्वारा पात्र उत्पाद के छत्तीसगढ़ राज्य में अंतःराज्यीय (Intra - State) विक्रय उपरांत राज्य में ही उपभोग न होकर पुनः अंतर्राज्यीय (Inter- State) विक्रय न हो, ऐसा ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रावधान का पालन न करने पर ऐसे प्रकरण प्रतिपूर्ति के 5 वर्ष की अवधि के अंदर जानकारी में आने पर इकाई से 18 प्रतिशत् ब्याज सहित वसूली योग्य होगा तथा इसे भू राजस्व की भांति वसूल किया जावेगा।

4. यदि पात्र इकाई द्वारा किसी भी परोक्ष अथवा अपरोक्ष माध्यम/संबद्ध/असंबद्ध माध्यम से अंतर्राज्यीय (Inter- State) विक्रय को अंतःराज्यीय (Intra - State) विक्रय के रूप में प्रस्तुत कर नेट एसजीएसटी की छूट प्राप्त की जाती है। ऐसे प्रकरण प्रतिपूर्ति के 5 वर्ष की अवधि के अंदर जानकारी में आने पर इकाई से 18 प्रतिशत् ब्याज सहित वसूली योग्य होगा तथा इसे भू राजस्व की भांति वसूल किया जावेगा।

5. इकाई द्वारा क्लेम हेतु दिए गए आवेदन पत्र को चार्टर्ड एकाउन्ट से सत्यापित कर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह विशेष उल्लेख होगा कि प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में किसी भी परोक्ष अथवा अपरोक्ष माध्यम/संबद्ध/असंबद्ध माध्यम से

अंतर्राज्यीय (Inter- State) विक्रय को अंतःराज्यीय (Intra- State) विक्रय के रूप में शामिल नहीं किया गया है।

6. यदि इकाई के आवेदन में प्रस्तुत विवरण में पात्र उत्पाद के निर्माण हेतु उपयोग किए गए कच्चा माल/सेवाऐं इत्यादि पात्र उत्पाद से संबद्ध प्रतीत नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी उक्त कच्चा माल/सेवाऐं इत्यादि का परीक्षण कर उसके विरूद्ध दिए गए विवरण को अमान्य कर सकेगा तथापि ऐसा करने के पूर्व इकाई को उसका पक्ष रखने के अनुमति होगी।

7. पात्र निर्मित उत्पाद/उत्पादों ( Eligible Finished Product/s) के लिए पात्र इकाई द्वारा नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु पृथक से विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन कराया जाएगा, जिसके माध्यम से केवल पात्र तैयार उत्पाद का विक्रय राज्य में अंतिम उपभोग ( B2C अथवा समान प्रकृति के लिए अन्य किसी नाम से जाना जावे) हेतु किया जाएगा।

8. पात्र उत्पाद/उत्पादों हेतु पृथक विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन क्रमांक से इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का अन्य व्यापार अथवा सेवा जो कि पात्र उत्पाद/उत्पादों से संबंधित न हो, नहीं किया जायेगा और न ही पात्र उत्पाद का पुनर्विक्रय (स्वयं उत्पादित अथवा अन्य किसी माध्यम/विक्रेता से प्राप्त कर) पृथक विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।

जहां तक संभव हो पृथक विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन क्रमांक के स्थल से इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का अन्य व्यापार अथवा सेवा जो कि पात्र उत्पाद/उत्पादों से संबंधित न हो, नहीं किया जायेगा और न ही पात्र उत्पाद/उत्पादों का पुनर्विक्रय (स्वयं उत्पादित अथवा अन्य किसी माध्यम/विक्रेता से प्राप्त कर) पृथक विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन के माध्यम से किया जायेगा।

यदि पृथक विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन के स्थल से इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का अन्य व्यापार अथवा सेवा जो कि पात्र उत्पाद से संबंधित न हो, किया जाता है तो अन्य उत्पाद/व्यापार/सेवा हेतु पृथक जीएसटी पंजीयन के साथ पृथक–पृथक लेखा पुस्तिका का संधारण किया जाना आवश्यक होगा।

9. यह भी कि, विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन का ही केवल नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कि जीएसटी अधिनियमों के अंतर्गत जमा की जा रही विवरणी में पृथक से उल्लेखित किया जावे :–

(i) Supplies Made to Consumers and Un-registered persons or Purchaser not having GSTIN or UIN के अंतर्गत समावेशित पात्र उत्पाद जो कि केवल छत्तीसगढ़ राज्य में उपभोग (Consumption) हेतु विक्रित किया गया हो तथा

उक्त विवरणी में देय जीएसटी के अंतर्गत एसजीएसटी एवं सीजीएसटी के रूप में लिखित हो। ऐसे प्रकरणों में आईजीएसटी के रूप में चिन्हांकित विक्रय गणना के लिए अनुमत नहीं होंगे।

(ii) इन नियमों के प्रावधानांतर्गत सामान्यतः विशेष नवीन जीएसटी पंजीयन से B2B प्रकृति के विक्रय अपात्र श्रेणी में होंगे।

10. प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन में किसी भी परोक्ष अथवा अपरोक्ष माध्यम/संबद्ध/असंबद्ध माध्यम से अंतर्राज्यीय (Inter- State) विक्रय को अंतःराज्यीय (Intra- State) विक्रय के रूप में प्रस्तुत होने की जानकारी एवं उल्लंघन होने पर इकाई को दी गई समस्त छूट मय साधारण ब्याज 18 प्रतिशत की दर से भू–राजस्व बकाया की भांति वसूली योग्य होगी तथा छूट की शेष अवधि के लिए इकाई को अपात्र घोषित किया जा सकेगा तथापि ऐसा किये जाने से पूर्व इकाई को पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध होगा।

11. यदि किसी इकाई द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 के पूर्व ही स्वयं अथवा सह इकाई में पात्र उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, ऐसी स्थिति में पूर्व इकाई का 5 वर्ष का औसत विक्रय, नवीन/विस्तार उपरांत आगामी 5 वर्षो में पूर्व में 5 वर्षो के औसत से कम नहीं हो, यह सुनिश्चित कराया जाना होगा। ऐसे वित्तीय वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

12. विस्तार/प्रतिस्थापन के मामलों में प्रतिपूर्ति की गणना इकाई के पूर्व संयंत्र की (सामान्यतः विगत 10 वर्षों की अथवा इससे कम अवधि के यंत्र संयंत्र के प्रकरण में उपलब्ध वर्षों की अवधि में रही) पूर्ण उत्पादन क्षमता को कम करने के उपरांत शेष उत्पादन के आधार पर गणनीय होगी। ऐसे प्रकरणों में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। तथापि इकाई को पक्ष रखने का एक अवसर उपलब्ध होगा। ऐसे निर्णय पर कोई अपील इन नियमों के अंर्तगत ग्राह्य नहीं होगी।

13. पात्र इकाई प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत गणना में इकाई को निर्यात/डीम्ड निर्यात/रिवर्स चार्ज के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अनुलाभ शामिल नहीं करेगी। इसका उल्लेख के सी.ए. (C.A.) शपथ पत्र में स्पष्टतः किया जावेगा।

14. यह प्रतिपूर्ति उन प्रकरणों/राशि में लागू नही होगी जिसमें इकाई को जीएसटी अधिनियम के अन्य बिन्दुओं पर पालन नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार की शास्ति अधिरोपित की गई हो।

15. यह प्रतिपूर्ति उस राशि पर लागू नहीं होगी जिसमें इकाई द्वारा जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत आईटीसी/अन्य समायोजन किसी भी कारण से यथासमय

उपयोग नहीं किया गया हो। इसी प्रकार यह प्रतिपूर्ति उस राशि पर लागू नहीं होगी जिसे इकाई द्वारा शास्ति अथवा अन्य कारणों से जमा की गई हो।

16. इन नियमों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति अवधि तथा अवधि के पश्चात पांच वर्ष तक इकाई को कार्यरत रखना आवश्यक होगा, ऐसा न किये जाने पर ली गई छूट ब्याज सहित वसूलनीय होगी।

छूट प्राप्त इकाई को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अथवा इन नियमों के अंतर्गत घोषित सक्षम प्राधिकारी – आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की पूर्वानुमति के बिना गठन/स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। इकाई इन नियमों के अंतर्गत मान्य परिवर्तनों को छोड़कर, यथा – संगठन, नेट जीएसटी छूट हेतु अनुमत उत्पाद, नवीन उत्पाद समावेश, कार्य स्थल अथवा अन्य कोई सारवान परिवर्तन नहीं कर सकेगी।

17. इन नियमों के अंतर्गत पात्रता अवधि में छः माह के आधार पर नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किया जाना होगा। दावे के साथ नेट एसजीएसटी के रूप में इकाई प्रश्नाधीन अवधि में इकाई द्वारा विक्रित वस्तु के राज्य में उपभोग के संबंध में राज्य के जीएसटी विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण वित्तीय वर्ष में दी गई छः माही प्रतिपूर्ति दावे का मिलान किया जावेगा।

इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रावधानिक रूप से छः माह में भुगतान किया जाएगा, जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर अंतिम भुगतान का निर्णय किया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के उपरांत प्रथम त्रैमास में इकाई द्वारा संबंधित दस्तावेजों सहित आवेदन किया जाएगा ताकि यथा समय समायोजन हो सके। विलंब होने की स्थिति में प्रत्येक सात दिवस के विलंब पर इकाई को पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रतिपूर्ति की गई राशि का दो प्रतिशत शास्ति देय होगी। तीन माह से अधिक का विलंब होने पर पूर्व वित्तीय वर्ष में प्रतिपूर्ति की गई राशि वापसी योग्य होगी।

वार्षिक गणना के आधार पर नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति राशि आधिक्य में प्राप्त की गई होने की स्थिति में संबंधित इकाई को, ऐसी अतिरिक्त प्राप्त प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की तिथि से आधिक्य भुगतान वापसी की तिथि तक के ब्याज सहित ऐसे अंतर की राशि का भुगतान, नोटिस तिथि से एक माह के भीतर 18 प्रतिशत् ब्याज सहित से जमा कराया जाना होगा। ऐसा न किये जाने की स्थिति में इकाई की आगामी प्रतिपूर्ति सुविधा स्थगित की जा सकेगी।

18. ऐसे प्रकरणों में जिनमें पात्र उत्पाद हेतु संबंधित इकाई द्वारा उक्त पात्र उत्पाद के अलावा अन्य किसी अपात्र उत्पाद का निर्माण किया जाता है तथा इसी प्रकार यदि पात्र उत्पाद हेतु आवश्यक प्लांट एवं मशीनरी तथा कच्चा माल के अलावा संबंधित पात्र इकाई द्वारा अपात्र उत्पाद का निर्माण पात्र उत्पाद की प्लांट मशीनरी/कच्चा माल से

किया जाता है तो ऐसी दशा में पात्र उत्पाद हेतु नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति इकाई द्वारा पात्र उत्पाद एवं अपात्र उत्पाद के उत्पादन (अथवा वार्षिक विक्रय) के प्रतिशत् (उत्पादन अथवा वार्षिक विक्रय के अनुपात में, जो भी कम हो) के आधार पर देय होगी। यह समायोजन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इकाई द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष में जमा किए गए जीएसटी से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर तय किया जायेगा। प्रतिपूर्ति की राशि पात्र राशि से अधिक देय हो चुकी अंतर की राशि की वसूली 18 प्रतिशत् ब्याज के साथ अधिक देय प्रतिपूर्ति की तिथि से की जावेगी।

<u>स्पष्टीकरण :–</u>

1. उक्त नेट SGST प्रतिपूर्ति हेतु पात्र उत्पाद (A) किसी अन्य उत्पादन प्रक्रिया में प्लांट / मशीनरी / कच्चा माल / अनुषांगिक माल जिससे किसी नवीन उत्पाद (B) / अंतरिम उत्पाद (C) का निर्माण होता हो तथा प्रस्तावित नवीन उत्पाद (B) / अंतरिम उत्पाद (C) किसी अन्य उत्पादन प्रक्रिया में प्लांट / मशीनरी / कच्चा माल / अनुषांगिक माल के रूप में उपयोगित होना संभावित हो अथवा निर्मित उत्पाद के रूप में विक्रित होना संभावित हो, जो कि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में जमा जीएसटी (CGST/ IGST/ SGST) आईटीसी समायोजन हेतु मान्य / पात्र हो तथा किसी भी आगामी उत्पादन प्रक्रिया या विक्रय (Resale) प्रक्रिया में आईजीएसटी के रूप में जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत देय होना संभव हो, शामिल नहीं होंगे।

2. यह स्पष्ट किया जाता नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु वही उत्पाद पात्र होंगे जिनका प्रथम विक्रय, देयक एवं उपभोग (कंजम्प्शन) एक ही अंतिम उपभोक्ता के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में हो तथा अन्य किसी इन्टरमीडियरी / उपभोक्ता को क्रय उपरांत प्रतिपूर्ति राशि अथवा उसका अंश जीएसटी प्रक्रिया में आईटीसी डिडक्शन के रूप में मान्य न हो अर्थात एक ही उत्पाद (A) पर आईटीसी समायोजन तथा नेटएसजीएसटी प्रतिपूर्ति का दोहराव न हो।

3. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु पात्र उत्पाद वही होंगे जिन्हें राज्य में पुनर्विक्रय (Resale) नहीं किया गया हो अर्थात् किया गया विनिमय B2C (Business to Consumer) प्रकृति का हो जिस पर आईटीसी समायोजन की संभावना न हो। आईटीसी समायोजन की संभावना न होना होने की पुष्टि के लिए विक्रय देयक में विक्रेता इकाई द्वारा क्रेता इकाई का जीएसटीएन नंबर का उल्लेख नही होना अपेक्षित है, जिसे क्रेता इकाई आगामी विक्रय प्रक्रिया में आईटीसी समायोजन हेतु पात्र नहीं होंगे।

4. नेटजीएसटी की गणना में निम्न ईकाईयों / श्रेणी / व्यक्तियों के मध्य विनिमय (Transactions) शामिल नहीं होंगे :–

A) 1) ऐसे जीएसटी नंबर जिनका PAN नंबर एक ही हो।
   2) पात्र ईकाई के एक संचालक (director) अथवा पार्टनर (partner) अथवा प्रोप्राईटर की अन्य पात्र अथवा अपात्र इकाईयां

B) निम्न व्यक्तियों के बीच विनिमय

1) यदि वे व्यक्ति एक दूसरे की इकाईयों के अधिकारी/डायरेक्टर/संचालक हो।
2) यदि वे व्यक्ति कानूनी रूप से पार्टनर के रूप में ज्ञात हो।
3) यदि वे व्यक्ति मालिक (Employer) कर्मचारी अथवा तथा नौकर ( Employee) का संबंध रखते हो।
4) यदि वे व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पात्र इकाई में 25% या उससे अधिक अंश का मालिक हो, नियंत्रण करता हो अथवा संधारित करता हो।
5) यदि वे व्यक्ति सीधे या अपरोक्ष रूप से एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हो।
6) यदि वे दोनों व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से नियंत्रण में हों।
7) यदि वे दोनों व्यक्ति एक साथ किसी तीसरे व्यक्ति को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से नियंत्रण करते हों।
8) वे व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हो।

**उपरोक्त 1 से 8 में "व्यक्ति" शब्द में वैधानिक व्यक्ति भी शामिल है।**

9) वे व्यक्ति जो "एक दूसरे के व्यवसाय में सोल एजेंट अथवा डिस्ट्रीब्यूटर अथवा सोल कंसेशनेयर (छूट धारक) (जैसे भी परिभाषित हो), हो तो वे भी संबद्ध मान्य होंगे।

**6.2–** औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका–15.1 एवं परिशिष्ट– (6.3) के प्रावधानुसार पात्र इकाईयों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के प्रकरणों में अनुदान की दर एवं अधिकतम सीमा, इस हेतु किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति पर उपरोक्त परिशिष्ट– (6.3) अनुसार ही होगी।

**6.3–** औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका–15.3 अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुदान की दर व अधिकतम सीमा, उपरोक्त परिशिष्ट– (6.3) अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति से 5 प्रतिशत अधिक प्रतिपूर्ति एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी । किंतु यदि कोई निवेशक कंडिका 15.3 एवं 15.4 दोनों श्रेणी अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ की पा़त्रता होगी।

**6.4–** औद्योगिक नीति 2019–24 में कंडिका–15.4 राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, राज्य के महिला स्व–सहायता समूह, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों को अनुदान की दर व अधिकतम सीमा, उपरोक्त परिशिष्ट– (6.3) अनुसार सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति तथा प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में 01 वर्ष अधिक की छूट दी जायेगी। किंतु यदि कोई निवेशक कंडिका 15.3 एवं 15.4 दोनों श्रेणी अथवा अन्य किसी प्रावधान में

अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ की पात्रता होगी।

**6.5–** स्थानीय संसाधन एवं कच्चामाल की उपलब्धता अनुसार उन पर आधारित उद्योग को उन्हीं जिलों में स्थापना को अधिक प्रोत्साहन के तहत् औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका क्र. 5.2 एवं 5.3 में प्रावधानित जिले विशेष के लिए चिन्हांकित हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज एवं राज्य में उत्पादित फल, फूल, सब्जी एवं अन्य हर्टिकल्चर उत्पाद प्रसंस्करण उद्योगों, ऐसे स्थापित उद्योगों को भी इस नीति के अंतर्गत परिशिष्ट–2 के अनुक्रमांक–1 एवं 15 के अनुसार उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगो हेतु निर्धारित अनुदान, छूट एवं रियायतें पात्रता अनुसार प्राप्त होंगी।

**6.6–** औद्योगिक नीति 2019–24 की कंडिका 15.12 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो नवीन भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उपरोक्त परिशिष्ट– (6.3) से 10 प्रतिशत अधिक दर से नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति प्राप्त होगा व प्रतिपूर्ति की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

**6.7–** यदि कोई निवेशक कंडिका 6.3, 6.4, 6.5 एवं 6.6 श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत् अतिरिक्त नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

## 7 – प्रक्रिया –

**7.1–** पात्र इकाईयों को निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हो) के साथ विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(1) उद्यम आकांक्षा/ आई.ई.एम./ औद्योगिक लायसेंस/ आशय पत्र ।

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र ।

(3) विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, प्रतिस्थापन अथवा शवलीकरण से संबंधित प्रकरणों मे, इस हेतु पूर्व में प्राप्त की गई अनुमति।

(4) उपयोग में लाये जा रहे भू–खण्ड का व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू–व्यपवर्तन से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।

(5) किराये/पट्टे पर लिये गये भूमि/भवन/शेड के मामलों में न्यूनतम 10 वर्ष हेतु निष्पादित किरायानामा/पट्टाभिलेख, जो स्वामित्व के मामलों में इकाई के स्वामी/इकाई के नाम पर तथा भिन्न प्रकरणों इकाई/कंपनी के नाम पर निष्पादित हो।

(6) स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र/ अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(7) मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा कारखाना भवन के अनुमोदन से संबंधित ले–आउट एवं फैक्ट्री लाईसेंस।

(8) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त जल (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लांट प्रारंभ करने बाबत सम्मति/अनुज्ञा/ प्लांट स्थापित करने बाबत सम्मति/ अनुज्ञा ।

(9) निवेशक के वर्ग से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यथा आवश्यकता)।

(10) उच्च प्राथमिकता अथवा प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(11) चार्टर्ड एकाउन्टेंट का **"उपाबंध 2"** पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र ।

(12) चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित स्थायी पूंजी निवेश के अर्न्तगत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची, **उपाबंध–3** अनुसार।

(13) **उपाबंध–1** में दिये गये प्रारूप पर शपथ पत्र।

(14) स्वामित्व के प्रकरणों में इकाई स्वामी का तथा भिन्न प्रकरणों में इकाई के पेन कार्ड की प्रति।

(15) लघु उद्योगों के प्रकरणों में प्रोजेक्ट प्रोफाइल/मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों में हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

(16) वाणिज्यिक कर विभाग से छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत जारी वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र।

(17) वाणिज्यिक कर विभाग से छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत दाखिल विवरणिका(रिटर्न) की प्रति एवं भुगतान किये गये नेट जी.एस.टी. का प्रमाण पत्र जो वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो ।

(18) इकाई का वाणिज्यिक कर विभाग से छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत जारी मूल जी.एस.टी.आई.एन. क्रमांक।

(19) इकाई का वाणिज्यिक कर विभाग से पात्र उत्पाद/उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत जारी पृथक जी.एस.टी.आई.एन. क्रमांक, जिसका विवरण नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए उपयोगित होगा।

**7.2** अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रकरण में कमियॉ एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे तथा उपरांकित बिन्दु क्र. 7.1 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता होने पर उसकी प्रति निरीक्षण के समय प्राप्त की जावेगी।

**7.3** लघु एवं मध्यम उद्योग के मामले में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर तथा स्थल निरीक्षण उपरांत अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता संबंधी अनुशंसा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किये जावेंगे।

वृहद एवं इससे उच्च स्तर के उद्योगों प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर तथा स्थल निरीक्षण उपरांत अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता संबंधी अनुशंसा आयुक्त/ संचालनालय, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जावेंगे। इन प्रकरणों में राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिए जावेंगे।

**7.4–** राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81, दिनांक 13 जून 2006 (समय समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जायेगी।

**7.5–** जिला स्तरीय समिति/ राज्य स्तरीय समिति से प्रकरण स्वीकृत होने के निर्णय उपरांत अनुदान स्वीकृति से संबंधित आदेश/सूचना पत्र मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ऑनलाईन अपलोड कर, निर्णय की सूचना पृथक से ई–मेल द्वारा भी दी जावेगी। स्वीकृत किये गये प्रकरणों हेतु इस सूचना पत्र में यह स्पष्ट रूप से लेख होगा कि सूचना पत्र के साथ संलग्न अनुबंध के प्रारूप अनुसार अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन कराकर मूल प्रति, सूचना जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत की जावें एवं पंजीकृत मूल प्रति प्राप्त होने के उपरांत ही अनुदान–स्वीकृति आदेश अपर /संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ /मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जावेगा। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, के द्वारा अनुदान का वितरण अनुदान स्वीकृति के क्रम में होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में प्रतिपूर्ति स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी।

प्रकरण स्वीकृत होने के उपरांत विभाग की ओर से संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा एवं औद्योगिक इकाई की ओर से स्वामी/साझेदार/संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि (यथा स्थिति जो लागू हो) के द्वारा अनुबंध निष्पादित होगा।

**7.6** सभी प्रकरणों पर सक्षम स्तरीय समिति निर्णय लिया जावेगा, किंतु निरस्तीकरण योग्य प्रकरण के मामले में इकाई को समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का न्यूनतम एक अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा। तदुपरांत समिति प्रकरण पर गुण दोष के आधार पर निर्णय ले सकेगी।

प्रकरण के निरस्त होने पर सदस्य सचिव द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा।

समिति के निर्णय हेतु राज्य/ जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी, सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा । सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह प्रकरण के विषय में अधिसूचना के प्रावधानों के तारतम्य में समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत टीप एवं अभिमत को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

**7.7–** समिति द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा स्वीकृति दिनांक के क्रम में नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति का प्रतिपूर्ति आदेश औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी किया जावेगा।

**7.8–** उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति के बजट का आबंटन प्रतिपूर्ति स्वीकृति के क्रम के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा।

**7.9–** बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को प्रतिपूर्ति की राशि अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी। राशि का वितरण सीधे औद्योगिक इकाई के सावधि ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी. एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट)/एनईएफटी प्रणाली अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा की जावेगी। उक्त राशि सबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा। सावधि ऋण का पूर्ण भुगतान हो जाने के कारण खाता बंद होने की स्थिति में इकाई के अन्य किसी खाते में अनुदान राशि उपरोक्तानुसार जमा की जा सकेगी किंतु इस हेतु आहरण संवितरण अधिकारी को प्रमाणन संबंधित नस्ति में अंकित करना होगा।

**7.10–** बजट आवंटन के अभाव में प्रतिपूर्ति की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

**7.11–** समिति का स्वरूप :–

**(अ) जिला स्तरीय समिति :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1– | आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा नामांकित अपर संचालक/संयुक्त संचालक | **अध्यक्ष** |
| 2– | संभागीय संयुक्त आयुक्त, राज्य कर अधिकारी, अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी | **सदस्य** |
| 3– | महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (जो राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के न्यूनतम उप संचालक स्तर का अधिकारी हो) | **सदस्य** |
| 4– | मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र | **सदस्य सचिव** |

(ब) **राज्य स्तरीय समिति :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1– | आयुक्त / संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ | **अध्यक्ष** |
| 2– | आयुक्त, राज्य कर या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो न्यूनतम अपर आयुक्त स्तर का हो | **सदस्य** |
| 3– | प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पो. लि. या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो न्यूनतम कार्यपालक संचालक स्तर का हो | **सदस्य** |
| 4– | अपर / संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय | **सदस्य सचिव** |

**(स)** जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 2 से होगी ।

(द) **योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के दायित्व निम्नानुसार होंगे :–**

(1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण / निरीक्षण कर समिति से प्रकरणों का निराकरण 90 दिवस की समय सीमा में करवाना ।

(2) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक 03 माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना ।

(3) योजना से सबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के सबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।

(4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों / निर्णयों की जानकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में अग्रेषित करना ।

(5) सदस्य सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह समिति के समक्ष समिति की बैठक की निर्धारित तिथि के 15 दिवस पूर्व तक के समस्त प्रकरणों को पंजीयन क्रमांक वार समिति के समक्ष रखे, प्रकरणों का निराकरण कराये एवं निर्णय से औद्योगिक इकाईयों को अवगत कराना तथा समिति के निर्णय का क्रियान्वयन तत्परता से सुनिश्चित करना।

(6) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति के किसी आदेश के विरूद्ध राज्य स्तरीय समिति को आदेश संसूचित किये जाने की दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी।

**(इ) योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी :–**

(1) लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में समिति के समक्ष रखे गये आवेदनों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार।

(2) निर्धारित समय सीमा के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदनों के संबंध में 3 माह तक के विलंब को इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विलंब शिथिल करने का अधिकार होगा। किंतु वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन संबंधी आवेदन के मामले में प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर मात्र 15 दिवस विलंब शिथिल करने का अधिकार होगा।

(3) प्रकरण के निराकरण के प्रयोजन से समिति संबंधित किसी भी बिन्दु/मद के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज संबंधित इकाई से प्राप्त करने का अधिकार।

**(फ) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी :–**

(1) वृहद एवं इससे उच्च स्तर के उद्योगों के प्रकरणों में समिति के समक्ष रखे गये आवेदनों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार। अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना के क्षेत्र तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना ।

(2) समिति को यह अधिकारी होगा कि वह किसी प्रकरण में संदर्भित किये जाने पर अथवा स्वप्रेरणा जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा करते हुए सुनवाई कर सकेगी, किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जावेगा ।

(3) जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी निर्णय के विरूद्ध की गयी अपील पर राज्य स्तरीय समिति सुनवाई कर निर्णय ले सकेगी ।

(4) किसी प्रकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में 6 माह तक की अवधि के विलंब के विषय में सुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर शिथिल करने का निर्णय ले सकेगी। किंतु वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजन संबंधी आवेदन के मामले में प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर मात्र 15 दिवस विलंब शिथिल करने का अधिकार होगा।

(5) अधिसूचना से संबंधित किसी अन्य बिंदु पर निर्णय हेतु प्रकरण राज्य स्तरीय समिति द्वारा शासन को संदर्भित किया जा सकेगा।

8. <u>अपील /वाद</u>

(1) राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील करने हेतु आयुक्त/ संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ के कार्यालय में एवं राज्य अपीलीय फोरम में अपील करने हेतु भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के कार्यालय में आदेश संसूचित होने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी। राज्य अपीलीय फोरम का गठन निम्नानुसार होगा :–

**राज्य अपीलीय फोरम :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | **अध्यक्ष** |
| 2. | भारसाधक मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग | **सदस्य** |
| 3. | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग | **सदस्य** |
| 4. | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विधायी कार्य विभाग | **सदस्य** |
| 5. | प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | **सदस्य सचिव** |

राज्य अपीलीय फोरम की गणपूर्ति चार की होगी एवं अनुक्रमांक 2 अथवा 3 पर अंकित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता अथवा अन्य विवाद की दशा में भी राज्य अपीलीय फोरम द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी माना जावेगा।

(2) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग (गोदाम), कोल्ड स्टोरेज एवं फिल्म उद्योग के प्रकरणों में अपील शुल्क प्रत्येक स्तर पर रूपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त), मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000, वृहद उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 5000 तथा वृहद उद्योगों एवं इससे उच्च स्तर के प्रकरणों में रूपये 10000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी ।

प्रत्येक अपील की स्तर की अपील शुल्क का भुगतान पृथक से किया जाना होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त/नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।

(3) अपील शुल्क का भुगतान विविध प्राप्तियों के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा ।

(4) अधिसूचना से संबंधित किसी बिन्दु पर राज्य स्तरीय समिति/राज्य अपीलीय फोरम यथा स्थिति जो लागू हो, प्रकरण के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार होगा ।

(5) अपील के मामलों में राज्य स्तरीय समिति/राज्य अपीलीय फोरम द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुये ऐसा आदेश पारित किया जावेगा जैसा कि योजना एवं अधिसूचना के अधीन नियमानुसार समझा जावे ।

## 9 नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया

**9.1** नवीन इकाईयों के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।

**9.2** विद्यमान इकाईयों के विस्तारीकरण/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना में इस हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त की गई अनुमति दिनांक से हुए निवेश की गणना औद्योगिक नीति 2019–24 के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।

**9.3** औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–1 के बिन्दु 18 के अनुसार **''स्थायी पूंजी निवेश''** से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का प्रतिस्थापन/शवलीकरण/विस्तारीकरण (जो लागू हो) हेतु भूमि/ भूमि–विकास, शेड–भवन निर्माण, नवीन प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण पर किये गये निवेश।

9.3.1 **''भूमि मूल्य''** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान मूल्य से है तथा इसमें सम्मिलित है– भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/भू–प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि। भू–प्रब्याजि से आशय है भू आबंटन अधिकारी को आबंटित भूमि हेतु भुगतान की गई राशि (भू–भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य करों–उपकरों को छोड़कर)

**टीप–** भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है।

9.3.2 **''शेड–भवन'' के मूल्य** से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में भूमि पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, श्रमिक विश्राम कक्ष, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम के निर्माण अथवा क्रय पर किया गया व्यय।

टीप– 1. शेड–भवन क्रय किये जाने की स्थिति में क्रय विलेख पर दर्शित मूल्य, बशर्ते ऐसे शेड–भवन पर पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

2. शेड–भवन पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 20 वर्ष की होना आवश्यक है।

3. शेड–भवन क्रय/पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में उसके मरम्मत/उन्नयन पर किये गये व्यय को अनुदान की गणना में शामिल नहीं किया जावेगा।

9.3.3 **"विद्युत आपूर्ति निवेश"** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के लिए विद्युत की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कम्पनी को भुगतान की गयी राशि से है।

**टीप :** (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

9.3.4 **"जल आपूर्ति निवेश"** से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के लिए औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में औद्योगिक उत्पाद हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्तें कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों व दैनिक उपयोग/ पेय व्यवस्था हेतु व्यय की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

9.3.5 **"प्लांट एवं मशीनरी"** से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना व परिवहन पर किये गये पूंजी निवेश/व्यय से है।

**9.4** बजट आबंटन की उपलब्ध के अनुसार राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति का भुगतान एक मुश्त अथवा आंशिक रूप से किया जा सकेगा तथा शेष राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान आगामी बजट आबंटन प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

**9.5** जिन औद्योगिक इकाईयों को मार्जिन मनी अनुदान वितरित हुआ है, वितरित राशि राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति में कम कर प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा ।

9.6 मान्य स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की राशि को पात्रता अवधि 10 वर्षों में विभाजित कर वित्तीय वर्ष के आधार पर पूंजीगत अनुदान की राशि निम्नानुसार गणित की जावेगी –

| क्र. | वित्तीय वर्ष | वाणिज्यिक कर विभाग को भुगतान की गई वस्तु एवं सेवा कर की राशि (शुद्ध प्रांतीय वाणिज्यिक कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की राशि आगत कर की राशि को समायोजन करने के उपरांत) | विभाजन अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वार्षिक राशि | पूंजीगत निवेश प्रोत्साहन सहायता राशि (कॉलम 3 व 4 में जो कम हो) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

9.7 राज्य के वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग में आयुक्त/उपायुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रतिवर्ष व्यवसायी द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रपत्र–2 अनुसार जारी किया जावेगा, जिस हेतु इकाई को वाणिज्यिक कर विभाग में आवेदन देना होगा ।

9.8 भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर में वह कर राशि कम की जावेगी जो नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अधीन समायोजन योग्य है या जो वापसी योग्य है। अर्थात् वाणिज्यिक कर विभाग को शुद्ध रूप से भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर राशि को ही मान्य किया जावेगा। आगत कर की राशि भी कम की जावेगी।

9.9 वार्षिक आधार पर आगणित नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर एवं भुगतान किये गये नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर में से जो राशि कम होगी वह उस वर्ष नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति के रूप में दी जावेगी।

**10. नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–**

**10.1** औद्योगिक इकाई को अनुदान अवधि एवं अंतिम वितरण दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा ।

**10.2** अनुदान अवधि एवं अंतिम वितरण पश्चात् पांच वर्ष तक आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल/गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इकाई का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा इकाई के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जावेगा ।

**10.3** अनुदान स्वीकृति के उपरांत अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क्रमांक 5.6 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) को वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा ।

**11. नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की वसूली :–**

नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की राशि की निम्न परिस्थितियों में वसूली योग्य होगी–

**11.1** औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है/गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

**11.2** औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण

अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5.6 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

**11.3** यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/निःशक्तता से संबंधित प्रमाण–पत्र/सेवा–निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र /अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक, विदेशी तकनीक से संबंधित प्रमाण पत्र, महिला उद्यमी, महिला स्व–सहायता समूह आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र/ अभिलेख/घोषणा पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त/ आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

**11.4** उद्योग संचालनालय/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।

**11.5** यदि औद्योगिक इकाई अधिसूचना में निहित दायित्वों की पूर्ति न करें।

**11.6** यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति की प्राप्ति हो गयी हो ।

**11.7** उपर्युक्त बिन्दु 11.1 से 11.6 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये प्रतिपूर्ति की राशि की वसूली के आदेश, जिला स्तरीय समिति की ओर से सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, 18 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अधिरोपित कर वसूली की जायेगी ।

**11.8** वसूली की राशि भू– राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

**12– स्वप्रेरणा से निर्णय :–**

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/राज्य स्तरीय समिति किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

**13** योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे । अनुदान से संबंधित किसी विषय पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।

**14** इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

**15** नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

16 **क्रियान्वयन**

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

इन नियमों को जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की स्वीकृति पृष्ठांकन क्रमांक F 30/ब–5/वि 2021, दिनांक 25.02.2021 के तहत् प्राप्त की गयी है ।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**

**(मनोज कुमार पिंगुआ)**
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

उपाबंध – एक

## "छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति नियम 2019"

के अन्तर्गत आवेदन का प्रारूप

(देखें नियम 5.7 )

| क्र. | विवरण का बिंदु | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | **औद्योगिक इकाई का नाम व पता** | |
| 2 | **औद्योगिक इकाई का संगठन** | |
| 3 | **उद्यमी का वर्गीकरण** | |
| 4 | **औद्योगिक इकाई का प्रकार** | लघु / मध्यम / वृहद /उच्च स्तर |
| 5 | **औद्योगिक इकाई का स्वरूप** | नवीन / विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन |
| 6 | **औद्योगिक इकाई का फैक्ट्री स्थल** | |
| | 1 स्थान | |
| | 2 विकास खण्ड | |
| | 3 जिला | |
| 7 | **पंजीयन** | |
| | उद्यम आकांक्षा / आशय पत्र / औद्योगिक लायसेंस / आई0ई0एम0 | |
| | उद्यम आधार एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र व राज्य शासन के साथ निष्पादित एम.ओ.यू. | |
| | वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन | |
| | पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त सम्मति | |
| | अ– वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत) | |
| | ब– जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट स्थापना बाबत) | |
| | स– वायु ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत) | |
| | द– जल ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अर्न्तगत प्राप्त सम्मति (प्लांट प्रारंभ करने बाबत) | |

| | | |
|---|---|---|
| | ई– भारत शासन द्वारा जारी पर्यावरण सम्मति (यदि लागू हो) | |
| | कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन | |
| | भूमि व्यपवर्तन / निर्धारण आदेश | |
| | स्थानीय निकायों का उद्योग स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रस्ताव | |
| 8 | कनेक्टेड विद्युत भार व कनेक्शन प्रदाय दिनांक | |
| 9 | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक | |
| 10 | उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा व मूल्य) | |

**11– सकल पूंजीगत निवेश ( राशि लाखों में )**

| क्र. | मद | निवेश राशि |
|---|---|---|
| (1) | भूमि – (भूमि का रकबा ..............................) | |
| | अ– वास्तविक क्रय मूल्य /प्रीमियम/ | |
| | ब– मुद्रांक शुल्क | |
| | स– पंजीयन शुल्क | |
| | **योग–** | |
| (2) | शेड–भवन – | |
| | 1 फैक्ट्री भवन | |
| | 2 शेड | |
| | 3 प्रयोगशाला भवन | |
| | 4 अनुसंधान भवन | |
| | 5 प्रशासकीय भवन | |
| | 6 केन्टीन | |
| | 7 श्रमिक विश्राम कक्ष | |
| | 8 वाहन स्टैन्ड | |
| | 9 सिक्यूरिटी पोस्ट | |
| | 10 माल गोदाम | |
| | **योग–** | |
| (3) | प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) | |
| | 1 प्लांट एवं मशीनरी (एक ही स्थान पर होना आवश्यक है) | |
| | 2 Intangible Assets | |
| | 3 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण | |
| | 4 परीक्षण उपकरण | |
| | 5 प्लांट एवं मशीनरी का स्थापना व ट्रान्सपोर्टिंग संबंधी व्यय | |
| | **योग–** | |

| | | |
|---|---|---|
| (4) | विद्युत आपूर्ति निवेश | |
| | अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) | |
| | ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश | |
| | **योग–** | |
| (5) | जल आपूर्ति निवेश<br>(औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) | |
| | **योग** | |
| | **महायोग–** | |

| 12 | **सकल पूंजीगत निवेश के स्त्रोत–** | |
|---|---|---|
| क्र. | मद | निवेश राशि |
| 1 | स्वंय के स्त्रोत | |
| 2 | अंश पूंजी | |
| 3 | ऋण | |
| | अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण | |
| | ब– बैंकों से ऋण | |
| | योग | |

**13 रोजगार–**

| श्रम वर्ग | रोजगार क्षमता | प्रदत्त रोजगार | राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार | प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अकुशल वर्ग<br>अ ............<br>ब ............<br>स ............ | | | | |
| कुशल वर्ग<br>अ ............<br>ब ..............<br>स ............. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्रबंधकीय/<br>प्रशासकीय वर्ग<br>अ ..............<br>ब .............<br>स ............. | | | | |
| योग | | | | |

14– विद्युत भार–

**15– औद्योगिक इकाई के स्वामित्व /नियंत्रणाधीन अन्य उद्योगों का विवरण –**

1– नाम व पता

2– कारखाना स्थल

अ– ग्राम / नगर

ब– तहसील

स– जिला

द– विभाग के माध्यम से पूर्व में प्राप्त अन्य अनुदान/छूट एवं रियायतों का विवरण

16– आवेदन विलंब से प्रस्तुत करने का कारण

17– पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/पूंजीगत निवेश सहायता प्राप्त किया हो तो उसका विवरण

18– अन्य

19– संलग्न दस्तावेजों की सूची

**टीप–** उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्ण जानकारी दी जावे, कोई बिन्दु रिक्त न रहें ।

स्थान– अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

दिनांक – नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

उपाबंध–1 के साथ संलग्नक 1

APPLICATION for Net SGST reimbursement under Industrial Policy 2019-24

(ALL amounts in Rs. Lack)

| S.No. | Particulers | Details |
|---|---|---|
| 1 | Name of the eligible unit | |
| 2 | Factory address of Eligible Unit : | |
| | email | |
| | Fax | |
| | Telephone number | |
| 3 | Office Address | |
| | email | |
| | Telephone number | |
| | fax, | |
| 4 | Eligibility Certiticate No. | |
| 5 | Date of the Eligibility Certificate | |
| 6 | Production Certificate/Udyam Akansha/Any other similar certificate | |
| 7 | Accounting Year Followed | |
| 8 | Period for which the application for Net SGST is made | |
| 9 | Bank details of eligible untis | |
| | Bank & Branch Name | |
| | Branch Address | |
| | Branch IFS code (for RTGS) | |
| | Account number (for RTGS) | |

Certification of Net SGST Liability

(Under Industrial Policy 2019-24, of Government of Chhattisgarh vide notification No. F 20-53/11/(6), Dated / /2020)

*(For the period from to of Financial Year )*

1. Name of the eligible unit :
2. Address of the eligible unit :
3. No. and date of Eligibility Certificate. : No.----------- Date -------------
4. Identification Certificate. : No. ----------- Date --------------
5. Registration number with date and date of effect.
   a) Under GST Act-2017 : Date --------------------
   Date of Effect :
6. Details of sale of eligible Finished Product of eligible unit and Taxes paid thereon.

A) (i) Sale within the State of Chhattisgarh

| Sr. No. | Finished Product's with HSN details | Details | | SGST Payable | | Net SGST paid through Cash ledger after ITC | CGST Payable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | Rate | Amount | Amount | Rate | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| | | | | | | | | |

(ii) Inter Unit Transfer to same entity having another GST No. within the State of Chhattisgarh:-

| Sr. No. | Finished Product's with HSN details | Details | | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

B) Sale outside the State of Chhattisgarh to Dealer

| Sr. No. | Finished Product's with HSN details | Details | | Rate | Amount | IGST | SGST(if any) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | |

C) Sale outside the State of Chhattisgarh direct to Consumer

| Sr. No. | Finished Product's with HSN details | Details | | Rate | Amount | SGST paid to Consumer State | IGST paid (if any ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | | | | | |

D) Exports :

| Sr. No. | Finished Product's with HSN details | Details | |
|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

D) Total of A + B+ D :

| Sr. No. | Finished Product's with HSN details | Details | | SGST Payable Liability | ITC claimed | Net SGST paid in Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | |

7. Details of Raw Material purchased for manufacture of eligible Finished Product of eligible unit and Taxes paid thereon.

A) (i) Purchases within the State of Chhattisgarh

| Sr. No. | Raw Material Name with HSN details | Details | | SGST | | CGST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | Rate | Amount | Rate | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

(ii) Inter Unit Transfer to same entity having another GST No. within the State of Chhattisgarh :-

| Sr. No. | Raw Material Name with HSN details | Details | | Rate | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

B) Value purchase from outside the State of Chhattisgarh

| Sr. No. | Raw Material Name with HSN details | Details | | IGST Rate | IGST Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

C) Imports :

| Sr. No. | Raw Material Name with HSN details | Details | | IGST Rate | IGST Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Qty. | Value | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

*8. Set-off admissible on tax paid on purchases instead off sett-off admissible on SGST payable on sale of finished product.*

9. a) Total SGST paid :
   b) SGST paid through cash ledger :

*10.* Amount of Net SGST Receivable : (As applicable)
On Gross Basis
On Net Basis

11. Details of SGST paid for the above :

| Sr No. | Date | Amount of SGST Paid through cash ledger | Name of Bank & Branch |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

Yours Faithfully,

Name, Status and Signature of the Authorized Signatory

Status: Proprietor/Partner/Charman Managing Director/ Director

(This application shall be signed by any one of the persons indicated above alongwith certified copy on above from Auditor )

**उपाबंध–1 के साथ संलग्नक 3**

## //शपथ पत्र//

1– यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :–

1.1 औद्योगिक नीति 2019–24 एवं छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा ।

1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख पूर्ण रूप से सही है

2– उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति दिनांक तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

3– भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को स्थायी पूंजी निवेश से संबंधित अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

या

भारत सरकार/ राज्य शासन के किसी अन्य विभाग / निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।

4– उद्योग उत्पादनरत् व कार्यरत् है।

5– यह कि मेरी/हमारी इकाई की स्थापना/संचालन हेतु केन्द्र सरकार/ राज्य शासन के द्वारा लागू किये गये नियम/दिशा–निर्देश (जो लागू हो) के अनुसार आवश्यकता होने पर वांछित अनुज्ञप्ति/सम्मति/अनापत्ति संबंधित विभाग/संस्था/निकाय के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लिये गये हैं।

6– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर, अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि नियमानुसार निर्धारित ब्याज के साथ निर्धारित अवधि में वापस कर दी जावेगी।

**औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर**
**नाम**
**पद**
**औद्योगिक इकाई का नाम व पता**
**दिनांक**

''उपाबंध–2''

## नियम 7.1 (11)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

( लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1– औद्योगिक इकाई ........................................................................................................................ ............. जिसका पंजीकृत पता ................................................. है एवं फैक्ट्री.................................. .................... में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र.................................................दिनांक .......... ....एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक............................दिनांक .............................. है। जिसके अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक ........................... है, में उद्योग आकांक्षा/ विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त अनुमति की तिथि (जो लागू हो) .... . ............ से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक..............................तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से ............माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक .......................... तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार रूपये. .......................(अक्षरों में).............................................................. है, जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तको/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया है:–

| क्र. | मद | निवेश राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | उद्योग आकांक्षा/ विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त अनुमति की तिथि (जो लागू हो) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक ................ तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में) | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् . ....... माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक .................. तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में) | कुल निवेशित राशि (3+4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | भूमि –<br>(भूमि का रकबा ..........................) | | | |
| | अ–वास्तविक क्रय मूल्य,प्रीमियम/ | | | |
| | ब– मुद्रांक शुल्क | | | |
| | स– पंजीयन शुल्क | | | |
| | **योग–** | | | |
| (2) | शेड–भवन – | | | |
| | 1 फैक्ट्री भवन | | | |
| | 2 शेड | | | |
| | 3 प्रयोगशाला भवन | | | |
| | 4 अनुसंधान भवन | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 5 प्रशासकीय भवन | | | |
| | 6 केन्टीन | | | |
| | 7 श्रमिक विश्राम कक्ष | | | |
| | 8 वाहन स्टैन्ड | | | |
| | 9 सिक्यूरिटी पोस्ट | | | |
| | 10 माल गोदाम | | | |
| | **योग–** | | | |
| (3) | प्लांट एवं मशीनरी (लीज पर मशीनरी सहित) | | | |
| | 1 प्लांट एवं मशीनरी (एक ही स्थान पर होना आवश्यक है) | | | |
| | 2 Intangible Assets | | | |
| | 3 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयत्र एवं उपकरण | | | |
| | 4 परीक्षण उपकरण | | | |
| | 5 प्लांट एवं मशीनरी का स्थापना व ट्रान्सपोर्टिंग संबंधी व्यय | | | |
| | **योग–** | | | |
| (4) | विद्युत आपूर्ति निवेश | | | |
| | अ– छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) | | | |
| | ब– केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश | | | |
| | **योग–** | | | |
| (5) | जल आपूर्ति निवेश<br>(औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) | | | |
| | **योग** | | | |
| | **महायोग–** | | | |

स्थान :

दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता

सील

हस्ताक्षर

सदस्यता क्रमांक

ACCOMPANIMENT TO THE APPLICATION FOR Net SGST : FROM AUDITOR REGARDING FIXED ASSETS.

1. Name of the eligible unit
2. Location of the Eligible unit
3. Period covered by the application
4. Eligibility Certificate No & Date
5. Certificate that the gross value of the fixed assets of the eligible units M/s. ------------------------------------------------------------------------------------ lacated at-------------------------------------------------------------------------------for which Eligibility Certificate No. --------, Dated---------- is issued as under :

   Gross value of the fixed assets

| | At the beginning of the year i.e.on | Acquired during the year | Desposed of during the year | At the end of the year | At end of previous FY* |
|---|---|---|---|---|---|
| i) Land | | | | | |
| ii) Building<br>iii) Plant & M/c and equipment<br>iv) Other Assets<br>Total : | | | | | |

(*Relevant for expansion/ diversification eligibility certificate. Previous FY refers to the year preceding the financial year during ehich the acquisition of assets pertaining to expansion/diversification was started)

6. Details of fixed assets acquired during the year should be given in the following form.

| Sr. No. | Date of purchase | Value | Description of items | From whom purchased | Date of Installation | Whether new or second hand | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

(To be given on a separate sheet duly cerfified by Chartered Accountant if the space is found to be insufficient)

(Seal and initial of Chartered Accountant to appear on each sheet forming part of this Annexure).

7. Details of Fixed assets disposed off/transferred etc. should be given in the following form.

| Sr. No. | Date of purchase | Value | Description of items | From whom purchased | Date of Installation | Date of sale/disposal transfer/ shifting | Value for which disposed off (if shifted place to which shifted be indicated) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Authorised signatory

Name, Status and Signature of the
Authorized Signatory

(This application shall be signed by any one of the persoins indicated above)

## CERTIFICATE

I/We hereby certify that apon audit of the Books of Accounts and other relevant records of the applicant M/s ---------------------------------------------------, the statement made and particulars furnished herein are correct.

Yours Faithfully,

Signature of the Auditor

Seal Stamp of
Chartered Accountant
Registration No.

"उपाबंध 3"

## नियम 7.1 (12)
## स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची

**शीर्ष** – भूमि, शेड–भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश

| क्र. | दिनांक | विक्रेता का नाम व पता तथा जी.एस.टी. क्रमांक | विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है) | देयक क्रमांक / चालान क्रमांक | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

(1)
स्थान–
हस्ताक्षर
दिनांक–
आवेदक इकाई का नाम व पता

(2)
स्थान–
हस्ताक्षर
दिनांक–
नाम व पता
सील
चार्टर्ड एकाउण्टेंट क्रमांक व दिनांक

"उपाबंध–4"

(नियम 7.4)

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ..........................

## नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक .............................. दिनांक ................................ द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़** नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति **नियम 2019** के नियम क्रमांक "7.10" के तहत् गठित राज्य स्तरीय समिति /जिला स्तरीय समिति की .......................बैठक दिनांक ............................ में दी गयी स्वीकृति व **छत्तीसगढ़ नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति नियम 2019 की कंडिका 7.4 में** प्राप्त अधिकारों के अधीन निम्नानुसार नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपूर्ति के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

| क्रमांक | विवरण का बिंदु | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | औद्योगिक इकाई का नाम व पता | |
| 2 | इकाई का स्वरूप<br>(नवीन/ विस्तार/ शवलीकरण/प्रतिस्थापन ) | |
| 3 | पंजीकृत उत्पाद | |
| | वार्षिक उत्पादन क्षमता | |
| 4 | वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने का दिनांक | |
| 5 | औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल<br>(स्थान, विकास खंड व जिला ) | |
| 6 | आवेदन दिनांक तक अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश | |
| **7** | **बिंदु क्रमांक 6 के आधार पर** | |
| | अधिकतम स्वीकृत प्रतिपूर्ति राशि (अंकों में) | |
| | अधिकतम स्वीकृत प्रतिपूर्ति राशि (अक्षरों में) | |
| **8** | **बिंदु क्रमांक 6 के आधार पर अधिकतम देय वार्षिक प्रतिपूर्ति** | |
| | अधिकतम देय प्रतिपूर्ति राशि (अंकों में) | |
| | अधिकतम देय प्रतिपूर्ति राशि (अक्षरों में) | |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | **बिंदु क्रमांक 8 के आधार पर वित्तीय वर्ष ..................... की छैः माही में** | |
| | देय प्रतिपूर्ति राशि (अंकों में) | |
| | देय प्रतिपूर्ति राशि ( अक्षरों में) | |
| 10 | **आवेदित छैः माही में** | |
| | स्वीकृत प्रतिपूर्ति राशि (अंकों में) | |
| | स्वीकृत प्रतिपूर्ति राशि (अक्षरों में) | |
| 11 | **वित्तीय वर्ष .................... की आगामी छैः माही में** | |
| | प्रतिपूर्ति की बकाया सीमा राशि (अंकों में) | |
| | प्रतिपूर्ति की बकाया सीमा राशि (अक्षरों में) | |

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– .............. के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

..........................................................

..........................................................

..........................................................

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

अपर/संयुक्त संचालक, उद्योग
संचालनालय/
मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
एवं
सदस्य सचिव, राज्य/जिला स्तरीय समिति